भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 221

जिसका उत्तर 5 दिसम्बर, 2023/14 अग्रहायण, 1945 (शक) को दिया गया

छोटे किसानों के लिए ऋण सुविधाओं तक पहुँच

221. श्री बृज लालः
श्री सतीश चंद्र दूबे:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा छोटे किसानों के लिए ऋण सुविधाओं तक पहुंच को सुविधाजनक बनाने के लिए किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) व्यक्तियों, विशेषकर असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए की गई पहलों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. भागवत कराड)

(क): छोटे किसानों को ऋण सुविधाएं सुविधाजनक रूप से उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपाय को अनुबंध-I में दर्शाया गया है।

(ख): असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने वाली योजनाओं का ब्यौरा अनुबंध-II में दर्शाया गया है।

*****

छोटे किसानों को ऋण सुविधाएं उपलब्ध कराने को सुविधाजनक बनाने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:-

i. प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र उधार में कृषि के लिए विशेष लक्ष्य:

आरबीआई ने वित्तीय वर्ष 2023-24 में बैंकों के लिए प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र उधार को अनिवार्य किया गया है, जिसमें 18% विशेष रूप से कृषि के लिए आबंटित किया गया हैं और छोटे और सीमांत किसानों के लिए 10% का उप-लक्ष्य रखा गया है।

ii. किसान क्रेडिट कार्ड योजना :

किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) योजना विभिन्न श्रेणियों के किसानों जिनमें भू-स्वामी किसान, काश्तकार किसान, बटाईदार और अन्य शामिल हैं, के लिए आसानी से ऋण उपलब्धता सुनिश्चित करती है। केसीसी को पशुपालन और मत्स्यपालन करने वाले किसानों के लिए भी उपलब्ध कराने से उनकी कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं में सहायता प्राप्त होती है।

iii. ब्याज सहायता योजना :

वर्ष 2022-23 और 2023-24 के दौरान केसीसी के माध्यम से अल्पकालिक फसल और संबद्ध गतिविधि ऋण के लिए किसानों को 3 लाख रुपए तक के लिए रियायती ब्याज दर का प्रस्ताव किया गया है। इस सहायता से ऋण देने वाली संस्थाएं लाभान्वित होती हैं और समय पर पुनर्भुगतान को प्रोत्साहित किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2022-23 और 2023-24 के दौरान किसानों के लिए प्रयोज्य उधार दर और ब्याज सहायता दर प्रतिवर्ष क्रमश: 7% और 1.5 % हैं। ऋणों का समय पर पुनर्भुगतान करने पर किसानों को 3% का अतिरिक्त त्वरित पुनर्भुगतान प्रोत्साहन (पीआरआई) भी दिया जाता है; इस प्रकार, प्रभावी ब्याज दर घटकर 4% प्रति वर्ष हो जाती है, जो संवितरण की तारीख से अधिकतम एक वर्ष की अवधि के अध्यधीन है।

iv. संपार्श्विक-मुक्त कृषि ऋण:

आरबीआई ने औपचारिक ऋण प्रणाली के अंतर्गत छोटे और सीमांत किसानों के कवरेज को बढ़ाने के लिए संपार्श्विक-मुक्त कृषि ऋण की सीमा 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 1.6 लाख रुपए करने का निर्णय लिया है।

v. उधार देने की प्रक्रियाओं का सरलीकरण :

बैंकों ने 50,000 रुपए तक के छोटे ऋणों के लिए अनापत्ति प्रमाणपत्र को समाप्त करके और भूमिहीन श्रमिकों, बटाईदारों, काश्तकार किसानों और मौखिक पट्टेदारों को ऋणों के लिए वैकल्पिक प्रलेखीकरण या शपथपत्र स्वीकार करके उधार देने की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित किया।

vi. किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ):

भारत सरकार ने वर्ष 2021 में 10,000 नए एफपीओ का गठन करने और उनकी सहायता करने के लिए '10,000 किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) के गठन और संवर्धन' नामक केंद्रीय क्षेत्र की योजना का शुभारंभ किया। ये एफपीओ छोटे फार्मों को सफल व्यवसाय में बदलने और किसानों की आय बढ़ाने में मदद करते हैं। नाबार्ड इन एफपीओ को उत्पादक संघ विकास और उत्थान कॉर्पस निधि और उत्पादक संगठन विकास निधि जैसी निधि देकर उनकी सहायता करके उन्हें बढ़ावा देने में मदद कर रहा है। 31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार नाबार्ड ने 7,101 एफपीओ स्थापित करने में मदद की है।

vii. संयुक्त देयता समूह:

नाबार्ड ने धनराशि उधार देने का एक उपयोगी तरीका तैयार किया है जिसे "संयुक्त देयता समूह" (जेएलजी) कहा जाता है। ये समूह काश्तकार/भूमिहीन किसानों और गैर-कृषि कामगारों को संपार्श्विक (जैसे आस्तियां) दिए बिना किसी आवश्यकता के लिए ऋण प्राप्त करने में मदद करता है। इससे बैंकों और जेएलजी सदस्यों के बीच विश्वास पैदा करने में मदद मिलती है।

31 मार्च, 2023 तक कुल 257.9 लाख जेएलजी का गठन किया गया और उन्हें ऋण से संबद्ध किया गया।

सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का ब्यौरा निम्नानुसार हैं:-

(i) प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) में किसी भी कारण से मृत्यु हो जाने पर 2 लाख रुपए का जीवन बीमा कवर प्रदान किया जाता है। योजना की प्रमुख विशेषताएं हैं :

1. एक वर्ष की अवधि के लिए नवीकरणीय जीवन कवर।
2. बैंक या डाकघर में खाताधारक व्यक्ति इस योजना के अंतर्गत नामांकन कर सकते हैं।
3. नामांकन के लिए पात्र आयु 18 से 50 वर्ष है।
4. वार्षिक प्रीमियम 436 /- रुपए प्रति वर्ष है।
5. कवर की अवधि: 1 जून से 31 मई तक है।

(ii) प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) मृत्यु/ पूर्ण रूप से विकलांग होने के मामले में देय 2 लाख रुपए और आंशिक विकलांग हो जाने पर 1 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा कवर प्रदान किया जाता है। योजना की प्रमुख विशेषताएं है:-:

1. एक वर्ष की अवधि के लिए नवीकरणीय जीवन कवर।
2. बैंक या डाकघर में खाताधारक व्यक्ति इस योजना के अंतर्गत नामांकन कर सकते हैं।
3. नामांकन के लिए पात्र आयु 18 से 50 वर्ष है।
4. वार्षिक प्रीमियम प्रति सदस्य 20/- रुपए प्रति वर्ष है।
5. कवर की अवधि: 1 जून से 31 मई तक है।

(iii) अटल पेंशन योजना (एपीवाई) का शुभारंभ भारत सरकार द्वारा 9 मई 2015 को सभी भारतीयों, विशेष रूप से गरीबों, वंचितों और असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा प्रणाली का सृजन करने के उद्देश्य से किया गया था। योजना की प्रमुख विशेषताएं है:-

1. यह 18-40 वर्ष के बीच की आयु के सभी भारतीय नागरिकों के लिए है जिनके पास बैंक या डाक घर में बचत बैंक खाता हो।
2. असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए गारंटीयुक्त पेंशन पर बेहतर तरीके से लक्ष्य केन्द्रित करने के लिए आयकरदाता 1 अक्तूबर, 2022 से एपीवाई में शामिल होने के लिए पात्र नहीं हैं।
3. एपीवाई के तहत अभिदाता द्वारा चुनी गई पेंशन की राशि और योजना में शामिल होने की आयु के आधार पर निर्धारित राशि का मासिक/तिमाही/छमाही अंशदान करना होता है।
4. अभिदाता को 60 वर्ष की आयु के बाद मृत्यु तक चयनित अंशदान के आधार पर 1000 रुपये प्रति माह, 2000 रुपये प्रति माह, 3000 रुपये प्रति माह, 4000 रुपये प्रति माह या 5000 रुपये प्रति माह की सरकारी गारंटीकृत न्यूनतम पेंशन प्राप्त होगी।
5. अभिदाता की मृत्यु के बाद अभिदाता के पति या पत्नी समान पेंशन राशि प्राप्त करने के हकदार होंगे।
6. अभिदाता और उनके पति/पत्नी दोनों की मृत्यु के बाद अभिदाता के नामिती अभिदाता की 60 वर्ष की आयु तक संचित पेंशन धनराशि प्राप्त करने का हकदार होगा।